राजस्थान सरकार
कार्यालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

क्रमांक कोर्ट/डीसी/विविध/2025/ 1896 दिनांक:02.12.2025

प्रेषित,

श्रीमान शासन सचिव,
कार्मिक विभाग,
राजस्थान–जयपुर।

विषय: विभागीय अपील संख्या 14/2021 अनवान श्री संजय जैन, अधीशाषी अभियन्ता बनाम जिला कलेक्टर, बाडमेर अन्तर्गत नियम 23 राज.सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्री संजय जैन, अधिशाषी अभियन्ता, तत0 अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा0 अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड बालोतरा हाल–परियोजना खण्ड द्वितीय, पाली ने दिनांक 01.06.2021 को न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर के समक्ष सीसीए नियम, 1958 के नियम 23 के तहत उक्त विभागीय अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलान्ट ने उक्त अपील जिला कलेक्टर, बाड़मेर के द्वारा सीसीए नियम, 1958 के नियम 17 के तहत पारित निर्णय क्रमांक प.1()(1)कार्मिक/2020/7602 दिनांक 19.10.2020 से अपीलान्ट की एक आगामी वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जो कि प्रस्तुती दिनांक 01.06.2021 से वर्तमान में सुनवाई हेतु विचाराधीन है तथा सुनवाई हेतु दिनांक 26.11.2025 नियत है।

अपीलान्ट श्री संजय जैन, अधिशाषी अधिकारी के पद पर पदस्थापित अधिकारी है, जो कि राज्य सेवा (राजस्थान अभियांत्रिकी सेवा) स्तर के अधिकारी की श्रेणी में आते है। सीसीए नियम के नियम 23 (2) के तहत राज्य सेवा स्तर के अधिकारी की ओर से प्रस्तुत की गई विभागीय अपील पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार कार्मिक विभाग, राज्य सरकार में निहित होने तथा कार्मिक विभाग (क–3/जॉच) विभाग, जयपुर के परिपत्र दिनांक प.5 (2) (27) कार्मिक/क–3/2004 दिनांक 4.8. 2006 के अनुसार राज्य सेवा स्तर के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत विचाराधीन विभागीय अपील कार्मिक विभाग को हस्तान्तरित करने के निर्देश प्रदत्त है।

Signature valid
Digitally signed by Laxmi Narayan Bairwa
Designation : Joint Director
Date: 2025.12.02 12:32:59 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19142025
eSign 1.0

अतः सीसीए नियम के नियम 23 (2) तथा कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 4.8.2006 की पालना में अपीलान्ट अधिकारी श्री संजय जैन की ओर से प्रस्तुत विभागीय अपील पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार कार्मिक विभाग का होने से विचाराधीन अपील संख्या 14/2021 अनवान श्री संजय जैन बनाम जिला कलेक्टर, बाड़मेर की मूल पत्रावली एवं जिला कलेक्टर बाड़मेर की मूल पत्रावली निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित की जा रही है।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(एल0एन0बैरवा)
संयुक्त निदेशक (सां0)

क्रमांक समसंख्यक/2025/1897-1898
दिनांकः .12.2025

प्रतिलिपिः—निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. जिला कलेक्टर, बाड़मेर।
2. श्री संजय जैन, अधिशाषी अभियन्ता, तत0 अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा0 अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड बालोतरा हाल— परियोजना खण्ड द्वितीय, पाली

संयुक्त निदेशक (सां0)

RajKaj Ref No.:
19142024
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Laxmi Narayan Bairwa
Designation : Joint Director
Date: 2025.12.02 12:32:59 IST
Reason: Approved